

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

क्रमांक रीडर/2025/9812

प्रार्थी

1 सम्पतराज पुत्र नगराम
जाति मेघवाल निवासी
लूणाडा तहसील बाटाडू
जिला बाड़मेर।

बनाम

दिनांक - 16.12.25

अप्रार्थीगण

1 चनणा पत्नि अमीन खां 2 रमजान 3 ईसरा पिसरान
अमीन खां 4 कमाल खां 5 हसन खां 6 रहमान खां
पिसरान इब्राहीम खां जाति मूसलमान निवासी साईयो का
तला बाटाडू 7 देदाराम पुत्र भीखाराम 8 देवाराम पुत्र
लालाराम जाति जाट निवासी रामपूरा बाटाडू 9 शेराराम
पुत्र रायचन्द 10 देवाराम पुत्र नगराम जाति मेघवाल
निवासी लूणाडा बाटाडू तहसील बाटाडू जिला बाटाडू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-651/2025

दिनांक- 01/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा साईयो का तला पटवार क्षेत्र साईयो का तला तहसील बाटाडू जिला
बाड़मेर के खसरा संख्या 1895/1604 रकबा 0.6116 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1897/1737 रकबा 0.5299
हैक्टेयर, खसरा संख्या 1899/1840 रकबा 1.7223 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क
रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/9813-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 16.12.25

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी साईयो का तला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी सम्पतराज पुत्र नगराम जाति मेघवाल निवासी लूणाडा तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण चनणा पत्नि अमीन खां वगैराह जाति मूसलमान निवासी साईयो का तला तहसील बाटाडू
जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर